न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 688 रान 2020
अनवान :—

1. कमला पत्नी अमरसिंह जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. जीतराम पुत्र गिदाराम उर्फ गोदूराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. मनीराम पुत्र गिदाराम उर्फ गोदूराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. पूर्णराम पुत्र गिदाराम उर्फ गोदूराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. चन्द्रभान पुत्र गिदाराम उर्फ गोदूराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. राममुर्ति पुत्र गिदाराम उर्फ गोदूराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
6. गिरदावरी पुत्री गिदाराम उर्फ गोदूराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
7. कमला पुत्री गिदाराम उर्फ गोदूराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
8. कलावती पुत्री गिदाराम उर्फ गोदूराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
9. रोहताश पुत्र अमरसिंह जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर ।
10. सिलोचना पुत्री अमरसिंह जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर ।
11. समेरता पुत्री स्व अमरसिंह जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर ।
12. माया पुत्री स्व अमरसिंह जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :— 13/11/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 63/62 की कुल 3.6800हैक व खाता संख्या 62/61 की कुल 1.3270हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गोधा वल्द मौजीराम के नाम सें दर्ज है।

गीदाराम उर्फ गोदुराम प्रतिवादी संख्या 1 का पिता है एवं वादीया का ससुर है जिसका देहान्त हो चुका है गीदाराम उर्फ गोदुराम की पत्नि रूकमा का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है एवं गीदाराम उर्फ गोदुराम का एक पुत्र अमरसिंह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसकी पत्नि वादीया , पुत्र/पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 है इसप्रकार गीदाराम उर्फ गोदुराम के जायज वारिसान वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो गीदाराम उर्फ गोदुराम की कृषि भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 की वादीया की पुत्री/पुत्र एवं गीदाराम उर्फ गोदुराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिव के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि गीदाराम उर्फ गोदुराम के नाम से दर्ज है गीदाराम उर्फ गोदुराम एवं उसकी पत्नि रूकमा का देहान्त हो चुका है गीदाराम उर्फ गोदुराम के जायज वारिसान वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो गीदाराम उर्फ गोदुराम के नाम दर्ज भूमि पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/माता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार राज ने जबाव पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाव शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्यात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 63/62 की कुल 3.6800हैक्ट व खाता संख्या 62/61 की कुल 1.3270हैक्ट में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गोधा वल्द मौजीराम के नाम सें दर्ज है।

गीदाराम उर्फ गोदुराम प्रतिवादी संख्या 1 का पिता है एवं वादीया का ससुर है जिसका देहान्त हो चुका है गीदाराम उर्फ गोदुराम की पत्नि रूकमा का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है एवं गीदाराम उर्फ गोदुराम का एक पुत्र अमरसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसकी पत्नि वादीया , पुत्र/पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 है इसप्रकार गीदाराम उर्फ गोदुराम के जायज वारिसान वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो गीदाराम उर्फ गोदुराम की कृषि भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 की वादीया की पुत्री/पुत्र एवं गीदाराम उर्फ गोदुराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 63/62 की कुल 3.6800हैक्ट व खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

62/61 की कुल 1.3270हैक्ट में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गोधा वल्द मौजीराम के नाम सें दर्ज है।

वादीया का कथन है कि गीदाराम उर्फ गोदुराम प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का पिता व वादीया के पति का पिता है गीदाराम उर्फ गोदुराम एव उसकी पत्नि रूकमा का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो गीदाराम उर्फ गोदुराम के नाम से दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है वादीया ने अपने कथनों के समर्थन में गीदाराम उर्फ गोदुराम उसकी पत्नि रूकमा व पुत्र अमरसिह का मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिसके अनुसार गीदाराम उर्फ गोदुराम के जायज वारिसान वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो गीदाराम उर्फ गोदुराम के नाम दर्ज भूमि पाने के अधिकारी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा बडबिराना के खाता संख्या 63/62 की कुल 3.6800हैक्ट एवं खाता संख्या 62/61 की कुल 1.3270हैक्ट 1/2 हिस्सा भूमि गीदाराम उर्फ गोदुराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/11/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. कमला पत्नी अगरसिंह जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 जीतराम पुत्र गिदाराम उर्फ गोदूराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. गनीराम पुत्र गिदाराम उर्फ गोदूराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. पूर्णराम पुत्र गिदाराम उर्फ गोदूराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. चन्द्रभान पुत्र गिदाराम उर्फ गोदूराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. रामगुर्ति पुत्र गिदाराम उर्फ गोदूराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
6. गिरदावरी पुत्री गिदाराम उर्फ गोदूराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
7. कमला पुत्री गिदाराम उर्फ गोदूराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
8. कलावती पुत्री गिदाराम उर्फ गोदूराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
9. रोहताश पुत्र अमरसिह जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर ।
10. सिलोचना पुत्री अमरसिह जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर ।
11. समेरता पुत्री स्व अगरसिंह जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर ।
12. माया पुत्री स्व अगरसिंह जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 688 सन 2020 निर्णय दिनांक– 13/11/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा बडबिराना के खाता संख्या 63/62 की कुल 3.6800हैक एवं खाता संख्या 62/61 की कुल 1.3270हैक 1/2 हिस्सा भूमि गीदाराम उर्फ गोदुराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेग

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner